महावीर / ओला 106/2004

दिनांक	आज्ञा पत्र	
12.4.4	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तलब किया जायें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 8.8.23 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।	
08.08.2023	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज स्थानान्तरण पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 27.09.23 को पेश हो।	
27.9.23	पत्रावली पेश। वकली अपीलाट एव अपीलाट स्वय को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई । इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *
सत्यमेव जयते